


11. 6. 24

पत्रावली आज पेश हुई।

वादीगण वकील उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। न्यायालय में राजस्व वाद दिनांक 21.12.2021 को दर्ज करने के बाद वादीगण वकील को प्रतिवादीगण के सम्मन डाक रजिस्टर्ड भेजने के आदेश दिये गये थे। परन्तु वादीगण वकील द्वारा आज तक प्रतिवादीगण के सम्मन पेश नहीं किये। वादीगण वकील को सम्मन तामिली हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने बावजूद भी वादीगण वकील ने प्रतिवादीगण के नोटिस पेश नहीं किये। लगभग दो वर्ष पांच माह से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई, तलबी के अभाव उक्त प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत वादीगण का राजस्व वाद अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
(SDO) धोरीमन्ना

